अनुवान मुकदमा

सं. वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्मा या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकम जो की तामील
31.3.2022	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। वाद वादी अस्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डेगाना (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या – 5/2021

प्रार्थी – जस्साराम पुत्र गुणाराम जाति मेघवाल निवासी बोड़वा तहसील जायल जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण – 1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश नागौर।
2. तहसीलदार डेगाना।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता वादी – श्री जीयाराम रॉयल

दिनांक 31.03.2022

–:: आदेश ::–

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम निम्बड़ी चांदावता तहसील डेगाना की राजस्व सीमा में पुराना खेत खसरा नंबर 698 रकबा 17.19 बीघा जिसके नये खसरा नंबर 1270 रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि पाबूराम पुत्र भागाराम जाति मेघवाल निवासी आन्तरोली खुर्द तहसील डेगाना की खरीदसुदा व खातेदारीसुदा काश्त एवं कब्जासुदा भूमि आई हुई है जो पाबूराम ने अपने जीवनकाल में स्वयं द्वारा अर्जित आय से क्रय कर अपने पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान दस्तावेज दिनांक 05.07.1995 को तकमील करवाया था। बाद क्रय करने पाबूराम का अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर बतौर खातेदार शांतिपूर्ण रूपसे काश्त एवं कब्जा रहा तथा बैचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में बाद क्रय करने पाबूराम के नाम से उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही। वाद में वर्णित उपरोक्त भूमि पर पाबूराम अपने जीवनकाल में शांतिपूर्ण रूप से काबिज रहा तथा किसी भी प्रकार से पाबूराम के काश्त व कब्जे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा। पाबूराम का स्वर्गवास दिनांक 05.06.2007 को हो चुका है। स्व0 पाबूराम आजीवन अविवाहित रहा तथा वह मृत्यु होने तक वादी के साथ शामिल ही रहता था तथा वादी व उसके परिवार ने स्व0 पाबूराम की तन मन धन से सेवा चाकरी की व अन्तिम समय तक उसकी दवाईयां इत्यादी उपलब्ध करवाकर देखभाल की, जिससे खुश होकर पाबूराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 09.06.2006 को स्व0 पाबूराम ने अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बाबत एक वसीयतनामा स्टाम्प रू. 50/– पर निष्पादित किया व उस वसीयतनामा में अपनी मृत्यु के उपरान्त वादी को उसकी खातेदारी की जमीन का मालिक घोषित कर अपने अंगुष्ठ निशान कर दो साख भी डलवाई जिससे अब कानूनन

वसीयतनामा की लिखावटी के अनुसार स्व0 पाबूराम की उपरोक्त कृषि भूमि का वादी खातेदार हो गया है। स्व0 पाबूराम की मृत्यु हो जाने के बाद खेत खसरा नंबर 1270 रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी हो चुका है क्योंकि स्व0 पाबूराम ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही वादी के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर दिया था। उक्त वसीयतनामा पाबूराम का प्रथम व अन्तिम वसीयत थी जो अब प्रभाव में है जिससे वादी अब इस वसीयतनामा के आधार पर वाद में वर्णित खसरान की भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। स्व0 पाबूराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 09.06.2006 को वाद में वर्णित खसरा नम्बर 1270 रकबा 2.90 हैक्टेयर भूमि जिसकी खातेदारी अपने नाम होने तथा उक्त खातेदारीसुदा भूमि में अन्य किसी व्यक्ति का हक हिस्सा नहीं होने से तथा उक्त सम्पत्ति स्वअर्जित होने से तथा पाबूराम अविवाहित होने से पाबूराम अपने सगा भाणजा के साथ रहता था एवं वादी की सेवा चाकरी में खुश होकर तथा यह वर्णित करते हुए कि अब में बीमार अवस्था में हूँ तथा मेरी तबीयत बराबर नहीं रहती है जिससे मैने वाद में वर्णित उक्त भूमि का वसीयतनामा आपके पक्ष में निष्पादित करवा दिया है जिससे कि मेरे स्वर्गवास के बाद उक्त सम्पति को लेकर किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई उजर ऐतराज नहीं हो जिससे यह वसीयतनामा वादी के पक्ष में बिना किसी दाब दबाब के एवं स्वस्थ चित्त बुद्वि से गवाहों की उपस्थिति में लिखवाकर यह भी वर्णित किया कि यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है तथा उक्त वसीयतनामा को सत्यापित भी करवाया है जिससे उक्त वसीयतनामा को लेकर कोई विवाद नहीं है जिससे वादी उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है। वसीयतनामा के आधार पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष स्व0 पाबूराम की जगह फौतगी का नामान्तकरण भरे जाने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र पेश किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने वसीयतनामा का पंजीयन नहीं होने के आधार पर प्रार्थना पत्र लेने से ही इन्कार कर दिया जबकि वसीयतनामा का पंजीयन होना कानूनन कतई आवश्यक नहीं है। इसके उपरान्त भी पटवारी हल्का व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के पक्ष में नामान्तकरण भरने से इन्कार कर दिया है व वादी को स्व0 पाबूराम की खातेदारी की जमीन का खातेदार मानने से भी इन्कार कर दिया है जिससे वादी के लिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है क्योंकि अब खसरान जैर दावा का खातेदार वादी ही बतौर खातेदार काश्त व कब्जा चला आ रहा है तथा आज दिन मौके पर वादी बतौर खातेदार काबिज है। दावा हाजा में वादी के खातेदारी अधिकारों को लेकर कोई विवाद नहीं है जिससे यह वाद प्रतिवादीगण को दो माह का नोटिस दिये बिना ही प्रस्तुत किया जा रहा है इसलिये दावा हाजा में प्रतिवादीगण के विरूद्व घोषणा कराने हेतु वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि वादी का नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने की वजह से व भूमिधारक राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने की वजह से उन्हे पक्षकार बनाया गया है जिससे उन्हे वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है। बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण स्व0 पाबूराम के फौत होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने फौतगी का नामान्तकरण भरने व वादी को खातेदार मानने

कलक्टर

से इन्कार कर दिया तब बमुकाम निम्बड़ी चांदावता व डेगाना पैदा हुआ तथा अदालत वाला को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार हासिल है। अतः वाद वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर की घोषणा सादिर फरवावें कि खेत खसरा नंबर 1270 रकबा 2.90 हैक्टेयर वाके मौजा निम्बड़ी चांदावता तहसील डेगाना में स्व0 पाबूराम के नाम दर्ज भूमि का खातेदार उसकी जगह वसीयत ग्रहिता होने व उत्तराधिकारी होने से वादी जस्साराम पुत्र गुणाराम जाति मेघवाल निवासी बोरवा तहसील जायल जिला नागौर है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाबदेही जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से राज. पैरोकार तहसीलदार डेगाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि मौजा निम्बड़ी चांदावता के खसरा नंबर पुराना 698 रकबा 17.19 बीघा भूमि पाबूराम ने दिनांक 5.7.1995 को क्रय की जिसके नये खसरा नंबर 1270 रकबा 2.90 हैक्टेयर बनें। पाबूराम की मृत्यु दिनांक 5.6.2007 को हुई तथा पाबूराम ने अपनी खरीदसुदा भूमि की दिनांक 9.6.2006 को वसीयत जस्साराम पुत्र गुणाराम जाति मेघवाल निवासी बोड़वा तहसील जायल को की है। वसीयत अपंजीकृत है। उक्त भूमि पाबूराम की क्रयसुदा है लेकिन वसीयत अपंजीकृत है। वादी की ओर से गवाह वादी जस्साराम के बयान करवाये है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के द्वारा वाद में कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि स्व0 पाबूराम की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि थी तथा स्व0 पाबूराम खातेदार ने अपने जीवनकाल में अपनी स्व0 अर्जित खातेदारी भूमि का वादी के पक्ष में वसीयत की है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–4ए वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि पाबूराम ने वादी जसाराम पुत्र गुणाराम के पक्ष में दो गवाहान वाहिद खान पुत्र सरवर खान कायमखानी निवासी कुचेरा व नूर मोहम्मद पुत्र नैनूखां जाति कायमखानी निवासी कुचेरा के समक्ष वसीयत की है जो व्याख्याता द्वारा तस्दीक सुदा है। यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वसीयतनामा अपंजीकृत दस्तावेज है तथा वादी ने अपने वाद के समर्थन में उक्त दोनो गवाहान वाहिद खान व नूर मोहम्मद तथा तस्दीक कर्ता व्याख्याता के बयान नहीं करवाये है। वादी ने वाद पत्र के पैरा संख्या 7 व 8 में पटवारी हल्का, तहसीलदार द्वारा कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाने व फौतगी नामान्तकरण भरने से इन्कार करने के कारण वाद कारक उत्पन्न होना बताया है। इसके संबंध में तहसीलदार डेगाना ने अपने जवाब में कोई कथन नहीं किया है बल्कि मौखिक बहस में वादी के द्वारा नामान्तकरण हेतु किसी प्रकार के दस्तावेज पेश करने हेतु अनभिज्ञता जाहिर की है। वादी ने भी इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादी के द्वारा वसीयतनामा के आधार पर विरासत नामान्तकरण की कार्यवाही की हो। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण वसीयतनामा के आधार पर विरासत नामान्तकरण से संबंधित है तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 उपधारा (2) के अन्तर्गत विस्तृत जांच करते हुए नामान्तकरण की कार्यवाही करने के अधिकार तहसीलदार डेगाना के पास है जिसका उपभोग वादी के द्वारा नहीं किया गया है तथा सीधे ही धारा 88 के

तहत वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि वादी को पहले निचली अदालत (तहसीलदार) से अनुतोष प्राप्त करने चाहिये थे। वादी वाद पत्र में वाद कारक उत्पन्न होना साबित नहीं कर पाया है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि प्रकरण में तहसीलदार डेगाना के द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 उपधारा (2) के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जावे। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः तहसीलदार डेगाना को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 उपधारा (2) के अन्तर्गत शुमार करते हुए नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्यवाही करें। वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी,
डेगाना (नागौर)